



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,

पूर्वोत्तर रेलवे,

गोरखपुर

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 01-10-2026

विषय:- पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 06 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1/760966/2026-PWD-BMCoESTM/464/2026-BMC, दिनांक 01-09-2026, पत्र संख्या-1/761522/2026-PWD-BDD30ESTM/562/2026-BDD3, दिनांक 02-09-2026, पत्र संख्या-1/760949/2026-PWD-BDD60ESTM/358/2026-BDD6, दिनांक 01-09-2026, पत्र संख्या-1/765981/2026-PWD-BDD30ESTM/570/2026-BDD3, दिनांक 03-09-2026, पत्र संख्या-1/765957/2026-PWD-BDD30ESTM/571/2026-BDD3, दिनांक 03-09-2026 एवं पत्र संख्या-1/765972/2026-PWD-BDD60ESTM/366/2026-BDD6, दिनांक 03-09-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 06 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधोलिखित तालिका में अंकित पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 06 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद/कार्य का नाम	टी०वी०यू०	अनुमानित लागत
1	जनपद कन्नौज में गुरसहायगंज-बाईपास मार्ग पर रेलवे कि०मी० 101/23-102/1 पर सम्पार संख्या-115ए स्पेशल के स्थान पर 02 लेन (10.50 मी० कैरिजवे) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	278582	7894.51
2	जनपद भदोही में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी-प्रयागराज सिटी स्टेशनों के मध्य स्थित रेलवे सम्पार सं०-43ए (सराय जगदीश हॉल्ट) पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण।	263092	7413.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	जनपद कासगंज में कासगंज में अमापुर, सिद्धपुरा मार्ग पर कासगंज-बरेली रेल सेक्शन के कि०मी० 420/9-421/0 के रेलवे सम्पार सं०-309सी/2ई पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	223500	9881.51
4	जनपद कुशीनगर के पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत कसानगंज-बोदरवार मार्ग पर सम्पार संख्या-15ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	299056	7641.22
5	जनपद बलिया में बॉसडीह रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग संख्या-5सी/टी-3 पर वाई शेप में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	179109	16530.39
6	जनपद पीलीभीत में विधानसभा पूरनपुर के अन्तर्गत पूरनपुर-माधोटांडा मार्ग (एम०डी०आर०- 39सी) पर पूर्वोत्तर रेलवे के सम्पार सं०-180ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	163575	7394.32

(1) प्रश्नगत उपरिगामी सेतु का निर्माण हो जाने के पश्चात उसे यातायात के लिये खोल दिये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा क्लोजर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(2) पहुँच मार्ग के लिये भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव रेलवे व राज्य सरकार से स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) प्लान डिजाइन तथा आगणन जो सेतु तथा पहुँच मार्गों के सम्बन्ध में होंगे उन पर दोनों पक्षों की सहमति होगी तथा उभय पक्षों द्वारा उन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार अपने हिस्से का अंशदान देने के लिये सहमत है। स्थल चयन रेलवे तथा उ०प्र० राज्य सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(5) स्थल विवरण अग्रिम रूप से तय किये जायेंगे तथा उस पर दोनों पक्षों की सहमति होगी। राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

(6) उपरिगामी सेतु का पहुँच मार्ग पुल के निर्माण के साथ ही किया जायेगा।

(7) रेल विभाग के रेलवे इंजीनियरिंग कोड के पैरा-732(ई) के अनुसार प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने के दशा में प्लान तथा आगणन बनाये जाने का व्यय देने में प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(8) रेल उपरिगामी सेतु एवं उसके पहुँच मार्ग के निर्माण की अवधि में बिना किसी व्यवधान के यातायात व्यवस्था बदलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 06 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त सम्पार पर रेल उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणनो की एक प्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य (इंजीनियरिंग)/रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेल मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके लागत सहभागिता के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।